न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 34/2023 **दायर दिनांकः 16.10.2023**

उनवान

1. भवानीशंकर आयु 42 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति राव निवासी खुरी हाल मुकाम खडीला तह० अटरू जिला बांरा (राज) मो. 6375590878

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री लोकेश कुमार गुर्जर

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 17.02.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया के शामलाती कब्जे काश्त एव स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एंव माल खुरी तहसील अटरू में खाता से 233 के खसरा नं 751 का रकबा 0.87 है0, खसरा नं 771/1538 का रकबा 0.10 है0, कुल 2 किता का रकबा 0.97 हे० खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से भवानीशंकर के स्थान पर भँवरलाल अंकित हो गया है जो कि गलत है प्रार्थी का सही नाम भवानीशंकर है जो कि उसके आधार कार्ड, मतदाता पहचान जन आधार पत्र आदि दस्तावेजो में भी भवानीशंकर नाम ही दर्ज है तथा ग्राम पंचायत खडीला द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी भवानीशंकर नाम हीं दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया राजस्व कर्मचारिगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवा कर अपना नाम भँवरलाल पुत्र मांगीलाल के स्थान पर भवानीशंकर पुत्र मांगीलाल दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारिगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पुर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम भवानीशंकर कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एंव अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:28 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नही कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थाना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। आराजी ग्राम/माल खुरी पटवार हल्का खेडलीगंज तह० अटरू जिला बांरा (राज) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जाता है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एंव माल खुरी तहसील अटरू में स्थित खाता सं 233 के खसरा नं 751 का रकबा 0.87 है0, खसरा नं 771/1538 का रकबा 0.10 है0, कुल 2 किता का रकबा 0.97 हे० खाते दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम भवानीशंकर पुत्र मांगीलाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/42 दिनांक 07.01.2025 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खुरी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 233, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनाधार कार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एंव माल खुरी तहसील अटरू में स्थित खाता सं 233 के खसरा नं 751 का रकबा 0.87, खसरा नं 771/1538 का रकबा 0.10, कुल 2 किता का रकबा 0.97 हे० आराजी में सहखातेदार भंवरलाल पुत्र मांगीलाल के स्थान पर भवानीशंकर पुत्र मांगीलाल किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:28 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:28 IST
Reason: SelfAttested